संख्या– 94 /XXII/2004–44 सूचना/2003

प्रेषक

सुबर्द्धन,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
देहरादून।

सूचना अनुभाग

देहरादून : दिनांक 06 अक्टूबर, 2004

विषयः–वित्तीय वर्ष 2004–05 में अबचनबद्व मदों में प्राविधानित अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–81/XXII/2004–44 सूचना/2003, दिनांक 6 सितम्बर, 2004 एवं आपके पत्रांक 1838/सू0 एवं लो0स0वि0 (लेखा)/2004 दिनॉक 15 सितम्बर, 2004 के कम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सूचना विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 में निम्न अवचनबद्व मदों की अवशेष धनराशि आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 27.00 लाख (रू0 सत्ताइस लाख मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रख जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है –

लेखा शीर्षक/उपलेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 हजार में	
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2220–सूचना एवं प्रचार–(कमशः) 60–अन्य (आयोजनेत्तर) (कमशः) 103– प्रेस सूचना सेवाएँ 04– पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना	20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	–	500
2220–सूचना एवं प्रचार–(कमशः) 60–अन्य (आयोजनेत्तर) (कमशः) 109–फोटो सेवाएँ 03– अधिष्ठान–00	31–सामग्री संपूर्ति	–	400

2220–सूचना एवं प्रचार–(कमशः) 60–अन्य (आयोजनेत्तर) (कमशः) 800–अन्य व्यय 03– स्वतंत्रता तथा गणतंत्र दिवस सम्बन्धी (उत्तरांचल सचिवालय को छोड़कर) उत्सवों पर व्यय।	42– अन्य व्यय	–	1800
	कुल व्यय	–	2700

2– उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

3– उक्त स्वीकृत इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया जाता है कि मितव्ययी मदों आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय।

4– यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत धनराशि में मिव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। सामग्री एवं सम्पूर्ति एवं उपकरणों आदि का कय डी0जी0एस0एण्ड0डी0 की दरों पर किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेंडर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा।

5– कम्प्यूटर आदि का कय एन0आई0सी0/आई0टी0 विभाग की संस्तुति के उपरान्त ही उनके दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31–03–2005 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगित प्रमाण पत्र भी उक्त तिथि तक शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

7– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रचार के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत प्रस्तर–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षको की सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

8– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0–1407, वित्त अनु0–3, दिनांक 30 सितम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपारि

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– XXII/2004–44 सूचना/2003 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
5– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
6– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव।